

प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 21.02.2026

अवैध व कूटरचित पहचान पत्र के आधार पर धोखाधड़ी कर दुसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष महेश कुमार चौबे के नेतृत्व में 30नि0 रमेश यादव मय पुलिस टीम द्वारा फर्जी पहचान पत्र का उपयोग कर दुसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में अभियुक्त 1. जनार्दन पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम भदारखास बढ़यापार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, 2. राज पुत्र राजेश निवासी ग्राम बरयाभीर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 94/26 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 व 6/13(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.02.2026 को कक्षा 10 की आयोजित परीक्षा के दौरान फर्जी पहचान पत्र का उपयोग कर दुसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए कक्ष निरीक्षक द्वारा पकड़ा गया। जिसके संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. जनार्दन पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम भदारखास बढ़यापार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- 2 राज पुत्र राजेश निवासी ग्राम बरयाभीर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 94/26 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 व 6/13(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 थाना सहजनवा गोरखपुर

बरामदगी

अवैध पहचान पत्र आधार कार्ड

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 रमेश यादव थाना सहजनवा गोरखपुर
2. हे0का0 पारस कुमार थाना सहजनवा गोरखपुर
3. का0 संजय यादव थाना सहजनवा गोरखपुर